



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 2 दिसम्बर, 2015

अग्रहायण 11, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग-1

संख्या 1/15/2675/6-पु-1-15-54-2015

लखनऊ, 2 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा0प0नि0-70

पुलिस अधिनियम, 1861 (अधिनियम संख्या 5, सन 1861) की धारा 2 और धारा 46 की उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पुलिस बल के पुलिस के आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी के चयन, पदोन्नति, प्रशिक्षण, नियुक्ति, ज्येष्ठता का निर्धारण और स्थाईकरण आदि को विनियमित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली, 2015

भाग-1 सामान्य

1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा संक्षिप्त नाम और नियमावली, 2015 कही जायेगी। प्रारम्भ

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा एक सेवा है जिसमें समूह सेवा की प्रास्थिति "ग" के पद समाविष्ट हैं।

परिभाषाएं

3- जब तक विषय या संदर्भ में कोई प्रतिकूल बात न हो, इस नियमावली में,-

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य समय समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4, सन 1994) से है;

(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य पुलिस अधीक्षक से है;

(ग) "बोर्ड" का तात्पर्य इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा भर्ती तथा पदोन्नति बोर्ड से है;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य भारत का संविधान से है;

(ङ) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाये;

(च) "विभाग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग से है;

(छ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(ज) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है;

(झ) "विभागाध्यक्ष" का तात्पर्य पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश से है;

(ञ) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा से है;

(ट) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व किन्हीं पूर्ववर्ती नियमावली के अधीन नियुक्त किसी व्यक्ति से है और उस सेवा में किसी पद पर मौलिक नियुक्त गया हो;

(ठ) "नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्गों" का तात्पर्य अधिनियम की अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;

(ड) "पुलिस मुख्यालय" का तात्पर्य मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ या उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद से है;

(ढ) "चयन समिति" का तात्पर्य सेवा के पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों के चयन के लिए बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से गठित चयन समिति से है;

(ण) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कैलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;

(त) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्य पालक आदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो।

भाग-दो

संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4-(1) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या निम्नलिखित होगी, जब तक कि उप नियम-1 के अधीन उसे परिवर्तित करने का आदेश पारित न हो:-

पद का नाम	पदों की संख्या		
	स्थायी	अस्थायी	योग
आरक्षी	71,239	1,51,029	2,22,268
मुख्य आरक्षी	10,358	42,441	52,799

परन्तु यह कि,—

(एक) विभागाध्यक्ष कुल स्वीकृत नियतन के अन्तर्गत विभिन्न इकाईयों के पदों की संख्या को पुनःअवधारित कर सकता है;

(दो) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुये छोड़ सकते हैं या राज्यपाल उसे प्रास्थगित रख सकते हैं जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा; या

(तीन) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थाई या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं जिन्हें वह उचित समझें।

भाग—तीन

भर्ती

5—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी:—

भर्ती का स्रोत

(1) पुलिस आरक्षी— पुलिस आरक्षी के शत प्रतिशत पदों को सीधी भर्ती द्वारा बोर्ड के माध्यम से भरा जायेगा।

टिप्पणी—सेवाकाल में पुलिस विभाग के दिवंगत कर्मचारियों के ऐसे आश्रित जो पुलिस आरक्षी के पद पर मृतक आश्रित के रूप में भर्ती के लिए प्रार्थनापत्र देते हैं, उनकी भर्ती बोर्ड द्वारा, सरकार द्वारा तय की गई नीति के अनुसार की जायेगी।

(2) मुख्य आरक्षी—

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के सौ प्रतिशत पद, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आरक्षी पुलिस में से भरे जायेंगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए, इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

6—अनुसूचित जातियों—अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण अधिनियम और समय—समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1993 के उपबन्धों और भर्ती के समय प्रवृत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्यस्तरीय खिलाड़ियों का आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त शासनादेशों के अनुसार होगा। परन्तु यह कि शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति पुलिस सेवाओं के लिए अर्ह नहीं होंगे।

आरक्षण

भाग—चार

अर्हताएं

7—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:—

राष्ट्रीयता

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्व अफ्रीकी देश केनिया, यूगांडा और यूनाईटेड रिपब्लिक आफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो:

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उपमहानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी : ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण पत्र आवश्यक हो किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा या उसके पक्ष में जारी कर दिया जायेगा।

शैक्षिक अर्हता

8—पुलिस आरक्षी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की अर्हता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी बोर्ड द्वारा दसवीं एवं बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होनी चाहिए।

अधिमानी अर्हताएं

9—अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने—

(एक) डीओईएसीसी (DOEACC)/NIELIT सोसायटी से कम्प्यूटर में 'ओ' स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या

(दो) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या

(तीन) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

टिप्पणी :- उक्तांकित अधिमान अर्हता के कोई अंक नहीं होंगे, बल्कि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों के बराबर अंक प्राप्त करने की दशा में अन्तिम चयन सूची में नियम 15(ड) के अधीन वरीयता दी जायेगी।

आयु

10—आरक्षी के पद पर भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि, जिस कैलेण्डर वर्ष में सीधी भर्ती की रिक्तियां प्रकाशित की जाए उसकी जुलाई के प्रथम दिन पुरुष अभ्यर्थी ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो और महिला अभ्यर्थी की दशा में उसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो:

परन्तु यह कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी बोर्ड द्वारा रिक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में और लागू सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट की जाये।

चरित्र

11—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेंगे।

टिप्पणी:- संघ सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या किसी स्थानीय प्राधिकारी या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

वैवाहिक प्रास्थिति

12—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो:

परन्तु यह कि सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

शारीरिक स्वस्थता

13—किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा बोर्ड के परीक्षण में सफल हो जाये।

टिप्पणी:— चिकित्सा बोर्ड अभ्यर्थी की यथास्थिति ऊँचाई, उसके सीने और भार के माप के लिए विहित शारीरिक मानक का परीक्षण करेगा और नाक— नी, बो लेग्स, फ्लैट फीट, वेरीकोस वेंस, दूर एवं निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस(पूर्ण एवं आंशिक), श्रवण परीक्षण, जिसमें रिनेज परीक्षण, बेब्सर्स परीक्षण और वर्टिगो परीक्षण, वाक दोष आदि समाविष्ट हैं, तथा ऐसी अन्य कमियों, जैसा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाये, का भी परीक्षण करेगा।

भाग—पांच

भर्ती हेतु प्रक्रिया

14—नियुक्ति प्राधिकारी भर्ती के वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष, पुरुष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थियों की पृथक-पृथक रिक्तियों की संख्या बोर्ड एवं सरकार को सूचित करेगा एवं तदुपरान्त पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों की रिक्तियां बोर्ड द्वारा निम्नलिखित रीति से अलग-अलग अधिसूचित की जायेंगी :-

रिक्तियों का
अवधारण

(एक) व्यापक प्रसार वाले दैनिक हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करके;

(दो) कार्यालय के सूचना पट्ट पर नोटिस चस्पा करके या रेडियो/ दूरदर्शन और अन्य रोजगार समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन द्वारा;

(तीन) रोजगार कार्यालय को रिक्तियों को अधिसूचित करके; और

(चार) जनसंचार के अन्य माध्यमों द्वारा।

15— (क) आवेदन पत्र

(एक) अभ्यर्थी केवल एक आवेदन पत्र भरेगा। बोर्ड केवल आनलाईन आवेदन पत्र स्वीकार करेगा एवं एक से अधिक आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी का आवेदन बोर्ड द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

आरक्षियों के पद
पर सीधी भर्ती की
प्रक्रिया

(दो) शैक्षिक अर्हता, आयु, प्रत्येक श्रेणी के परीक्षण, जिसके अन्तर्गत शारीरिक, चिकित्सीय आदि परीक्षण भी है, के लिये न्यूनतम अर्हक मानक का विवरण एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किये जायें, बोर्ड द्वारा अपनी वेबसाइट पर या किसी अन्य रीति से, जैसा वह आवश्यक समझें, उपलब्ध कराये जायेंगे।

(तीन) आवेदन पत्र के लिए आवेदक को पर्याप्त समय देते हुए बोर्ड द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। अभ्यर्थी आवेदन पत्र की यथार्थता और पूर्णता के लिए व्यक्तिगत रूप से और अकेले ही उत्तरदायी होगा, यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अपूर्ण, दोषपूर्ण या अयथार्थ सूचना से युक्त है, तो आवेदन पत्र को निरस्त किया जा सकता है जिसके लिए बोर्ड का निर्णय अन्तिम होगा।

(चार) आवेदक, अपने समस्त प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को स्वयं प्रमाणित करेगा और उनकी यथार्थता तथा शुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(पाँच) आवेदन पत्र में पहचान विवरण यथा विशिष्ट पहचान पत्र संख्या, अंगूठा एवं अंगुली के निशान, फोटोग्राफ या बायोमैट्रिक्स भी समुचित रीति से इस प्रकार समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा समय-समय पर विहित किया जाये।

(छ:) विभागाध्यक्ष, बोर्ड से विचार विमर्श कर, किसी भर्ती के लिए आवेदन शुल्क नियत कर सकता है।

(सात) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गयी किसी पूर्ववर्ती या पश्चातवर्ती सूचना में किसी अपूर्णता या अयथार्थता या परिवर्तन या असंगति के लिए बोर्ड को किसी आवेदक का अभ्यर्थन सरसरी तौर पर अस्वीकार करने का अधिकार होगा।

(आठ) सरकार प्रथम परीक्षा के पूर्व किसी भी समय किसी भर्ती के लिए रिक्तियों की संख्या परिवर्तित कर सकती है और किसी भर्ती को किसी भी समय या भर्ती के किसी स्तर पर बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है।

(ख) 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर श्रेष्ठता सूची

ऐसे सभी अभ्यर्थी जिनके आवेदन सही पाये जाते हैं उन सभी को, उनके द्वारा इस नियमावली के नियम (8) के अन्तर्गत प्रावधानित, 10वीं एवं 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर अंक प्रदान किए जायेंगे। इन प्रदान किए जाने वाले अंकों में 10वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 100 अंक एवं 12वीं की बोर्ड की परीक्षा के आधार पर अधिकतम 200 अंक प्रदान किए जायेंगे। उनको प्रदान किए जाने वाले यह अंक दशमलव के बाद दूसरे अंक तक लिए जायेंगे एवं यह निम्नलिखित रीति से प्रदान किए जायेंगे :-

(एक) 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = अभ्यर्थी द्वारा उसकी 10वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

(दो) 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंक = 2 × अभ्यर्थी द्वारा उसकी 12वीं की बोर्ड की अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत।

यदि किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा 10वीं अथवा 12वीं की उपरोक्त किसी परीक्षा में अभ्यर्थियों को अंकों के स्थान पर ग्रेड प्रदान किए जाते हैं तो भर्ती बोर्ड द्वारा सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से ग्रेड के समकक्ष प्रदान किए जाने वाले अंकों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। उपरोक्तानुसार अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त 10वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान अंक एवं 12वीं की परीक्षा के परिणाम के आधार पर प्रदान किये जाने वाले अंकों का योग कर उसे कुल अंक प्रदान किये जायेंगे। सभी अभ्यर्थियों को अधिकतम 300 अंकों में से उपरोक्त अंकों के योग के अनुसार कुल अंक प्रदान किये जायेंगे एवं प्रदान किये गये कुल अंकों के आधार पर श्रेष्ठता क्रम में सूची बनायी जायेगी। इस प्रकार बनायी गयी श्रेष्ठता सूची में से रिक्तियों की कुल संख्या के 15 गुना के बराबर संख्या में अभ्यर्थी श्रेष्ठता के आधार पर शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए बुलाये जायेंगे। श्रेष्ठता सूची के अन्तिम अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक पर यदि एक से अधिक अभ्यर्थी पाये जायें तो ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा हेतु पात्र माना जायेगा।

(ग) शारीरिक दक्षता परीक्षा

खण्ड (ख) के अधीन श्रेष्ठता सूची में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जायेगी जो 200 अंकों की होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया ऐसी होगी जैसी परिशिष्ट-1 में विहित की गयी है।

(घ) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा

खण्ड (ग) के अधीन चयनित अभ्यर्थियों के अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा परिशिष्ट-2 के अनुसार की जायेगी। संवीक्षा के दौरान या संवीक्षा के पश्चात किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छलसाधित, गलत या कूटरचित पाये जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन, यथास्थिति, बोर्ड अथवा नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

(ङ) चयन तथा अन्तिम श्रेष्ठता सूची

खण्ड(घ) के अधीन शारीरिक मानक परीक्षा एवं अभिलेखों की संवीक्षा के पश्चात् सफल पाये गये अभ्यर्थियों में से, उनके द्वारा खण्ड (ख) के अनुसार 10वीं एवं 12वीं की परीक्षा के परिणामों के आधार पर दिए गए अंकों एवं खण्ड (ग) में शारीरिक

दक्षता परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर, आरक्षण नीति के दृष्टिगत, बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा और उसे संस्तुति सहित चरित्र सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा एवं 10वीं तथा 12वीं की अंकतालिकाओं के सत्यापन के अधीन विभागाध्यक्ष को प्रेषित करेगा। बोर्ड द्वारा कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी। बोर्ड द्वारा प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के साथ समस्त अभ्यर्थियों की सूची अपनी वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी। विभागाध्यक्ष बोर्ड द्वारा प्रेषित सूची को अनुमोदनोपरान्त अग्रेतर कार्यवाही हेतु संबन्धित को अग्रसारित करेगा।

टिप्पणी:— यदि दो या अधिक अभ्यर्थी बराबर-बराबर अंक प्राप्त करते हैं, तो श्रेष्ठता सूची का विनिश्चय निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:—

(1) यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक समान हो तो खण्ड (ख) के अधीन प्राप्त कुल अंकों में उच्चतर अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(2) यदि उपर्युक्त के बाद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो, ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी जो अधिमानी अर्हता (उपर्युक्त नियम-9 में उल्लिखित कम के अनुसार), यदि कोई हो, रखते हो। एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले अभ्यर्थी को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होगा।

(3) उपर्युक्त के होते हुए भी यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर-बराबर हों, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी।

(4) यदि उपर्युक्त के वावजूद भी एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो, तो ऐसे अभ्यर्थियों की वरीयता, उनके हाईस्कूल प्रमाण पत्र में यथा उल्लिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, निर्धारित की जायेगी।

(च) 10वीं एवं 12वीं परीक्षा की अंकतालिकाओं का सत्यापन

चयन सूची तैयार करते समय बोर्ड सूची में शामिल सभी अभ्यर्थियों की 10वीं एवं 12वीं कक्षा की अंकतालिकाओं को सत्यापन हेतु सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड को भेजेगा। बोर्ड, यथासमय सम्बन्धित परीक्षा बोर्ड से प्राप्त सत्यापन आख्याओं को पुलिस मुख्यालय को बाद में अलग से प्रेषित करेगा जो इसे नियुक्ति प्राधिकारी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजेगा। अगर किसी परीक्षा बोर्ड द्वारा प्रेषित की गयी आख्या में किसी अभ्यर्थी की 10वीं अथवा 12वीं परीक्षा की अंकतालिकाओं को सत्यापित नहीं किया जाता है तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसे अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

(छ) चिकित्सा परीक्षा

खण्ड (ड.) के अधीन प्रेषित चयन सूची में स्थान रखने वाले अभ्यर्थियों से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा चिकित्सा परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा सम्बन्धित जिले की पुलिस लाइन अथवा नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उल्लिखित किये गये स्थान पर की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया परिशिष्ट-3 के अनुसार होगी। चिकित्सा परीक्षा में असफल पाये गये अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जाएगा।

16—नियुक्ति पत्र जारी किये जाने से पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी के पर्यवेक्षण के अधीन, अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण पर भेजे जाने के पहले, चरित्र सत्यापन का कार्य पूर्ण कराया जायेगा। सामान्यतयः चरित्र का सत्यापन एक माह के भीतर पूर्ण कर लिया जायेगा। किसी अभ्यर्थी के चरित्र सत्यापन के दौरान कोई प्रतिकूल तथ्य सामने आने पर, उसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा और ऐसी रिक्तियों को अग्रतर चयन के लिए आगे ले जाया जायेगा।

मुख्य आरक्षी के पद पर पदोन्नति की प्रक्रिया

17-(1) मुख्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति, आरक्षी पुलिस के रूप में मौलिक रूप से नियुक्त किये गये पात्र कर्मियों में से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित रीति में की जायेगी:-

(क) मुख्य आरक्षी के स्वीकृत पदों की कुल संख्या के 100 प्रतिशत पद अनुपयुक्तों को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर बोर्ड द्वारा पदोन्नति के माध्यम से भर्ती द्वारा मौलिक रूप से नियुक्त किये गये ऐसे आरक्षियों में से भरे जायेगे जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को परिवीक्षा अवधि को सम्मिलित करते हुए इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो।

(ख) उप खण्ड (क) के अधीन मुख्य आरक्षी पुलिस के पदों पर पदोन्नति के लिए मुख्य आरक्षी पुलिस के निःसंवर्गीय पदों पर पदोन्नत ऐसे आरक्षी पुलिस भी पात्र होंगे जो अर्हताओं को पूरा करते हों।

(2) पदोन्नति हेतु चयन समिति :-

(क) बोर्ड द्वारा पदोन्नति हेतु चयन समिति गठित की जायेगी।

(ख) समिति का अध्यक्ष बोर्ड द्वारा नामित होगा तथा जिस पद पर प्रोन्नति के लिये चयन समिति गठित हुई है उस पद के नियुक्ति प्राधिकारी से कनिष्ठ नहीं होगा। समिति में उपयुक्त पद का एक सदस्य विभागाध्यक्ष द्वारा नामित किया जायेगा और समिति के शेष सदस्य विद्यमान शासनादेशों के अनुसार बोर्ड द्वारा नामित किये जायेंगे।

(ग) पदोन्नति हेतु निर्विवाद ज्येष्ठता सूची पुलिस मुख्यालय द्वारा बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी।

(घ) चयन समिति सफल अभ्यर्थियों का परीक्षाफल अपनी संस्तुति सहित बोर्ड को प्रस्तुत करेगा। बोर्ड चयनित अभ्यर्थियों की सूची अपनी संस्तुति सहित विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा। सूची विज्ञापित रिक्तियों से अधिक की नहीं होगी।

(ङ) विभागाध्यक्ष अनुमोदन के उपरान्त सूची को नियुक्ति प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे जो प्रोन्नति हेतु अंतिम आदेश निर्गत करेगा।

(च) प्रोन्नति हेतु चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची विभागाध्यक्ष के अनुमोदनोपरान्त बोर्ड द्वारा अपनी तथा उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट (website) पर प्रदर्शित की जायेगी।

भाग-छ:

प्रशिक्षण, नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण, और ज्येष्ठता

नियुक्ति

18-(1) नियम-15 एवं नियम-16 के उपबन्धों के अधीन रहते हुये नियुक्ति प्राधिकारी, अभ्यर्थियों के नामों को उसी क्रम में लेकर, जिसमें वे नियम-15 के खण्ड (छ) के अधीन तैयार की गयी सूची में हो, नियुक्त करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों को इस निर्देश के साथ नियुक्ति पत्र जारी करेगा कि वे पत्र के जारी किये जाने के दिनोंक से या नियुक्ति पत्र में इस प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट किसी दिनोंक से एक माह के भीतर सेवा/प्रशिक्षण के लिये उपस्थित हों। ऐसा न करने पर उनके चयन/नियुक्ति को निरस्त कर दिया जायेगा:

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ के पूर्व से सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त और कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त किया गया समझा जायेगा।

(2) नियम-17 के अन्तर्गत यदि किसी एक चयन के संबंध में नियुक्तियों के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो, एक संयुक्त सम्मिलित आदेश भी जारी किया जायेगा, जिसमें व्यक्तियों के नामों का उल्लेख ज्येष्ठता क्रम में किया जायेगा जैसी यथास्थिति चयन में अवधारित की जाये या जैसी की उस संवर्ग में हों जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय :

परन्तु यह कि इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व सेवा में किसी पद पर नियुक्त और उक्त पद पर कार्यरत किसी व्यक्ति को इस नियमावली के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त हुआ समझा जायेगा और ऐसी मौलिक नियुक्ति को इस नियमावली के अधीन की गयी नियुक्ति समझी जायेगी।

19-(1) (क) आरक्षी के पद पर नियम-15 और 16 के अधीन अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किये गये प्रशिक्षण उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी। बेसिक प्रशिक्षण की अवधि में कैंडेटों पर पी0टी0सी0 मैनुअल में निहित प्रावधान प्रभावी होंगे। बेसिक प्रशिक्षण हेतु अन्तिम रूप से चयनित अभ्यर्थी द्वारा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपना योगदान प्रशिक्षण हेतु नहीं देता है तो उसका चयन/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

प्रशिक्षण

(ख) बेसिक प्रशिक्षण में असफल हुए कैंडेटों को पूरक प्रशिक्षण कराकर पुनः प्रशिक्षण की परीक्षा का आयोजन विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। पूरक प्रशिक्षण के पश्चात प्रशिक्षण परीक्षा में असफल अभ्यर्थियों की, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उमकीसेवा समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

(2) नियम-17 के अधीन पदोन्ति द्वारा नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित प्रशिक्षण पूर्ण करने की अपेक्षा की जायेगी।

20-(1) सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जाएगा।

परीक्षा

(2) परीक्षा अवधि के दौरान परीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा विभागाध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जाएंगे अलग-अलग मामलों में परीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाएगा जब तक अवधि बढ़ाई जाय :

परन्तु यह कि आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय परीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि परीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परीक्षाधीन व्यक्ति ने बढ़ायी गयी परीक्षा अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी के संतोषानुसार पर्याप्त सुधार नहीं किया है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो, तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं।

(5) ऐसा परीक्षाधीन व्यक्ति, जिसे उपनियम (4) के अधीन प्रत्यावर्तित किया जाये या जिसकी सेवायें समाप्त की जायें किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(6) नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्च पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परीक्षा अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है।

21-(1) नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए किसी परीक्षाधीन व्यक्ति को परीक्षा अवधि या बढ़ाई गयी परीक्षा अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायेगा। यदि,-

स्थायीकरण

(क) उसके द्वारा विहित प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया हो; और

(ख) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक रहा हो; और

(ग) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित की गयी हो।

(2) जहाँ उत्तर प्रदेश राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली, 1991 के उपबन्धों के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक नहीं है वहाँ उस नियमावली के नियम-5 के उप नियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए आदेश कि संबंधित व्यक्ति ने परीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

22-सेवा में किसी पद पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी :-

ज्येष्ठता

1-दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के भर्ती आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण

(क) एक चयन के माध्यम से नियुक्त समस्त आरक्षियों की ज्येष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(ख) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्पूर्वी चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

टिप्पणी— पदोन्नति के विचारण क्षेत्र में आने वाले समस्त आरक्षियों के प्रशिक्षण में प्राप्त अंक न उपलब्ध होने पर उनकी पदोन्नति बैचवार निम्न रीति के अनुसार की जाएगी :-

(1) भर्ती के दिनांक के वर्ष को "वर्ष (बैच)" माना जायेगा।

(2) पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी पश्चात्पूर्वी "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

(3) वर्षवार (बैचवार) तैयार की गयी सूची में अंकित आरक्षियों के नामों के क्रम से किसी प्रकार की ज्येष्ठता-अवधारित नहीं की जायेगी।

2-दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के पश्चात् भर्ती आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

(1) किसी भी प्रकार के चयन से नियुक्त किये गये आरक्षी की वरिष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है।

(2) बोर्ड द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती आरक्षियों के चयन को एक पृथक चयन माना जायेगा। सीधी भर्ती के अन्तर्गत एक चयन के माध्यम से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता बोर्ड द्वारा निर्गत अन्तिम चयन सूची के क्रम के अनुसार होगी।

(3) मृतक आश्रित श्रेणी के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों एवं कुशल खिलाड़ियों की नियमावली-2011 के अन्तर्गत भर्ती आरक्षियों के चयन को एक सीधी भर्ती का पृथक चयन माना जायेगा। इस प्रकार से भर्ती आरक्षियों की पारस्परिक वरिष्ठता नियुक्ति के पश्चात् प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के अनुसार निर्धारित होगी। एक प्रशिक्षण सत्र में एक से अधिक अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण संस्थानों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के समान होने पर उनकी जन्मतिथि की वरिष्ठता को ही पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण का आधार बनाया जायेगा। अंकों का प्रतिशत एवं जन्मतिथि समान होने पर हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) पूर्ववर्ती चयन से नियुक्त आरक्षी पश्चात्पूर्वी चयन से नियुक्त आरक्षी से ज्येष्ठ होंगे।

3-दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता निर्धारण

(1) मुख्य आरक्षी पुलिस की वरिष्ठता उनके मुख्य आरक्षी पुलिस के रूप में पदभार ग्रहण करने की तिथि से निर्धारित की जायेगी।

(2) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों के पदभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि के अनुसार वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(3) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की, मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि समान हो तो जन्मतिथि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी, ज्येष्ठ होगा।

(4) यदि एक से अधिक मुख्य आरक्षियों की मुख्य आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, आरक्षी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि एवं जन्मतिथि भी समान है तो हाई स्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित नामों के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार अवधारित की जायेगी।

4-दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 के पश्चात प्रोन्नति प्राप्त मुख्य आरक्षी का ज्येष्ठता निर्धारण

पदोन्नति के आधार पर नियुक्त मुख्य आरक्षी की ज्येष्ठता उनके चयन की तिथि से निर्धारित की जायेगी। एक चयन तिथि में नियुक्त किये गये मुख्य आरक्षियों की पारस्परिक ज्येष्ठता उनके पोषक संवर्ग में वरिष्ठता के अनुरूप होगी तथा पूर्ववर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षी पश्चातवर्ती वर्ष में चयनित मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे। यहाँ चयन की तिथि का तात्पर्य भर्ती प्रक्रिया के उपरान्त बोर्ड अथवा चयन समिति द्वारा भेजी गयी चयन सूची को विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किये जाने की तिथि से है :

परन्तु यह कि आरक्षी के पद से मुख्य आरक्षी के पद पर बैचवार पदोन्नति की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर ज्येष्ठता निम्नलिखित रीति से निर्धारित की जायेगी :-

(1) दिनांक 02 दिसम्बर, 2008 से पूर्व के मौलिक रूप से नियुक्त मुख्य आरक्षी इसके पश्चात् पदोन्नति प्राप्त करने वाले मुख्य आरक्षियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) पूर्ववर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये वे पश्चातवर्ती "वर्ष (बैच)" में नियुक्त आरक्षी जो पदोन्नति हेतु उपयुक्त पाये जाये से ज्येष्ठ होंगे।

(3) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है, उनमें से जिस आरक्षी की आरक्षी पद पर नियुक्ति की तिथि पूर्व की होगी वह पश्चातवर्ती तिथि में आरक्षी पद पर नियुक्त हुये आरक्षी से मुख्य आरक्षी के रूप में ज्येष्ठ होंगे।

(4) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो उनकी मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जायेगी।

(5) पदोन्नति पाये ऐसे आरक्षी जिनका "वर्ष (बैच)" समान है तथा जिनकी आरक्षी पद पर भर्ती की तिथि भी समान हो तथा मुख्य आरक्षी के प्रशिक्षण में कुल प्राप्तांकों के प्रतिशत के भी समान होने की दशा में मुख्य आरक्षी के पद पर पारस्परिक ज्येष्ठता वाह्य प्रशिक्षण के प्राप्तांकों के आधार पर तथा वाह्य प्रशिक्षण के अंक भी समान होने की दशा में उनके जन्मतिथि को वरीयता देते हुये निर्धारित की जायेगी। आयु में ज्येष्ठ मुख्य आरक्षी ज्येष्ठ होगा।

5-विभाग द्वारा किसी विशेष प्रकरण में पूर्व निर्धारित की गयी नीति के अनुसार वरिष्ठता का निर्धारण यथावत् बना रहेगा।

6-उपरोक्त के होते हुए भी अगर ज्येष्ठता के सम्बन्ध में कोई अन्य तथ्य प्रकाश में आते हैं अथवा कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो उसका निवारण विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

भाग-सात वेतन इत्यादि

23-वेतनमान

वेतनमान

(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार दिए गए हैं:-

पद का नाम	वेतनमान
आरक्षी	रु 5200-20200 ग्रेड पे-2000
मुख्य आरक्षी	रु 5200-20200 ग्रेड पे-2400

परिवीक्षा अवधि में
वेतन

24-(1) फण्डामेंटल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुए भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हों, समयमान में उसकी प्रथम वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो एवं प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया हो और द्वितीय वेतनवृद्धि तभी दी जायेगी जब उसने परिवीक्षा अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा अवधि में वेतन, सुसंगत फण्डामेंटल रूल्स द्वारा विनियमित होगा :

परन्तु यह कि यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायेगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें।

(3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हों, परिवीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा।

भाग-आठ

अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन

25- सेवा में किसी पद पर लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किन्हीं सिफारिशों पर बाहे लिखित हों या मौखिक विचार नहीं किया जायेगा। किसी अस्थायी की ओर से अपनी अस्थायिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिए अनर्ह कर देगा।

अन्य विषयों का
विनियमन

26- ऐसे विषयों के संबंध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या नियमों, विनियमों एवं आदेशों के अन्तर्गत न आते हों, सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों, विनियमों और आदेशों के अनुसार शासित होंगे।

सेवा की शर्तों में
शिथिलता

27-जहाँ राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में किसी पद पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई होती है, वहाँ वह उस मामले में लागू नियमों में से किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस नियम की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये, जिन्हें वह मामले में न्यायसंगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिए आवश्यक समझे, अभिमुक्त या शिथिल कर सकती है।

व्यवृत्ति

28-इस नियमावली में किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा, जिनका इस सन्बन्ध में सरकार द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष श्रेणियों के व्यक्तियों के लिये उपबन्ध किया जाना अपेक्षित हो।

परिशिष्ट-1

(नियम-15 ग देखें)

सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण

1-शारीरिक दक्षता परीक्षण का संचालन बोर्ड द्वारा गठित एक दल द्वारा किया जायेगा जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(एक) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम- निर्दिष्ट एक डिप्टी कलेक्टर।

(दो) जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी।

(तीन) जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक पुलिस उप अधीक्षक।

जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

परीक्षा का संचालन करने के लिये यह दल किसी अन्य विशेषज्ञ की सहायता ले सकता है।

2-आरक्षी की सीधी भर्ती के लिये शारीरिक दक्षता परीक्षण में पुरुष अभ्यर्थियों को 4.8 किमी० (किलोमीटर) की दौड़ 27 मिनट के भीतर और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किमी० (किलोमीटर) की दौड़ 16 मिनट के भीतर पूर्ण करनी होगी। जो अभ्यर्थी नियत समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं, वे परीक्षा के अगले चरण में जाने के लिये अर्ह नहीं होंगे।

अंकों का आवंटन उपरोक्त समय-सीमा के अन्दर अभ्यर्थी द्वारा दौड़ में लिये गये समय के आधार पर किया जायेगा, जिसके लिये अधिकतम 200 अंक और न्यूनतम 120 अंक होंगे। अभ्यर्थी को अंक निम्नानुसार प्रदान किए जाएंगे

पुरुष अभ्यर्थियों द्वारा 4.8 किमी० की दौड़ 17 मिनट या उससे कम समय में पूरी करने पर उन्हें अधिकतम 200 अंक प्रदान किये जायेंगे। इसके उपरान्त 17 मिनट से अधिक एवं 17 मिनट 15 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 198 अंक प्रदान किये जायेंगे, 17 मिनट 15 सेकेण्ड से अधिक एवं 17 मिनट 30 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 196 अंक प्रदान किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार इसी प्रकार दौड़ के समय के बढ़ते हुए क्रम में हर बार, समय के अन्तराल में 15 सेकेण्ड के बढ़ने पर, पुरुष अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंकों में हर बार 2 अंक कम कर दिए जायेंगे। निर्धारित किए गए उपरोक्त मानक के क्रम के अनुसार इस प्रकार 26 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक एवं 26 मिनट 45 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाले पुरुष अभ्यर्थियों को 122 अंक एवं 26 मिनट 45 सेकेण्ड से अधिक एवं 27 मिनट तक दौड़ पूरी करने वाले सभी पुरुष अभ्यर्थियों को इस दौड़ के लिए न्यूनतम निर्धारित किये गये 120 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा ऐसे सभी पुरुष अभ्यर्थी जो 4.8 किमी० की दौड़ 27 मिनट के बाद पूरी करते हैं, उन्हें इस परीक्षा में असफल माना जायेगा।

महिला अभ्यर्थियों द्वारा 2.4 किमी० की दौड़ 11 मिनट या उससे कम समय में पूरी करने पर उन्हें अधिकतम 200 अंक प्रदान किये जायेंगे। इसके उपरान्त ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो 2.4 किमी० की दौड़ 11 मिनट से अधिक एवं 11 मिनट 15 सेकेण्ड तक पूरी करती हैं, उन्हें 196 अंक प्रदान किये जायेंगे एवं ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो उपरोक्त दौड़ 11 मिनट 15 सेकेण्ड से अधिक एवं 11 मिनट 30 सेकेण्ड तक पूरी करती हैं, उन सभी को 192 अंक प्रदान किये जायेंगे। उपरोक्तानुसार इसी प्रकार दौड़ के समय के बढ़ते हुए क्रम में हर बार, समय के अन्तराल में 15 सेकेण्ड के बढ़ने पर महिला अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले अंकों में हर बार 4 अंक कम कर दिए जायेंगे। निर्धारित किए गए उपरोक्त मानक के क्रम के अनुसार इस प्रकार 15 मिनट 30 सेकेण्ड से अधिक एवं 15 मिनट 45 सेकेण्ड तक दौड़ पूरी करने वाली महिला अभ्यर्थियों को 124 अंक एवं 15 मिनट 45 सेकेण्ड से अधिक एवं 16 मिनट तक दौड़ पूरी करने वाली सभी महिला अभ्यर्थियों को इस दौड़ के लिए न्यूनतम निर्धारित किए गये 120 अंक प्रदान किये जायेंगे तथा ऐसी सभी महिला अभ्यर्थी जो 2.4 किमी० की दौड़ 16 मिनट के बाद पूरी करती हैं, उन्हें इस परीक्षा में असफल माना जायेगा।

उपरोक्तानुसार शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु निर्धारित किए गए भिन्न-भिन्न समय के लिए अंकों की सारिणी, पुरुष एवं महिला अभ्यर्थियों के लिए अलग-अलग, विस्तृत रूप से बोर्ड द्वारा अपनी वेब साईट पर प्रदर्शित की जाएगी।

3-दल द्वारा मैनुअल टाइमिंग प्रयोग किये जाने की अनुमति नहीं होगी। सी0सी0टी0वी0 कवरेज सहित मानकीकृत इलेक्ट्रॉनिक टाइमिंग उपकरण और पर्याप्त बैकअप के साथ बायोमैट्रिक्स का प्रयोग यथार्थता व पारदर्शिता सुनिश्चित करने एवं वेषपरिवर्तन से बचने के लिये किया जायेगा।

4-दल नीचे दी गयी प्रक्रिया का पालन करेगा:-

(क) बोर्ड द्वारा प्रतिदिन परीक्षण कराये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का अवधारण किया जायेगा और उनका विनिश्चय परीक्षण कराये जाने वालों की कुल संख्या एवं विद्यमान दशाओं पर आधारित होगा।

(ख) अर्हता के लिये इस परिशिष्ट के पैरा 2 में न्यूनतम शारीरिक दक्षता मानकों व शारीरिक दक्षता परीक्षण हेतु भिन्न-भिन्न समय के लिये अंकों की सारणी परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(ग) इस परीक्षण का परिणाम परीक्षण स्थल पर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित किया जायेगा और यदि सम्भव हुआ तो यथाशीघ्र बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

(घ) संगठनात्मक दल, जिसमें परीक्षण अभिकरण यदि कोई हो, भी सम्मिलित है, के ऐसे सदस्य जो जानबूझ कर ऐसा कार्य करते हैं जो गलत हो या किसी ऐसे कार्य को नहीं करते हैं जिससे किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुँचता हो या उसका अहित होता हो, तो वे दण्डित कार्यवाही/या विभागीय कार्यवाही के भागी होंगे।

(ङ) शारीरिक दक्षता परीक्षण का परिणाम अभ्यर्थियों को उसी दिन उपलब्ध कराया जायेगा। सफल अभ्यर्थियों की सूची टीम के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(च) बहिर्कक्ष परीक्षण इस प्रकार किये जायेंगे कि परिणामों का मूल्यांकन किया जा सके और उन्हें बिना किसी हस्तगत मध्यक्षेप के यांत्रिक रूप से अभिलिखित किया जा सके। शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिये अधिमानतः भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जायेगा।

(छ) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(ज) सफल एवं असफल अभ्यर्थियों की सूची दल के सदस्यों के संयुक्त हस्ताक्षर से घोषित की जायेगी।

(झ) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षा में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(ञ) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

टिप्पणी:-समस्त वीडियो अभिलेखों में व्यक्तिगत गोपनीयता का सम्मान रखा जायेगा और अभिलेख को सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जायेगा तथा किसी न्यायालय को उसके सम्मन किये जाने पर या किसी जॉच अधिकारी को बोर्ड की अनुमति से उपलब्ध कराया जायेगा।

परिशिष्ट-2

(नियम-15 घ देखें)

अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण

अभिलेखों की संवीक्षा

1- अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के सम्बन्ध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की संवीक्षा के लिये बुलाया जायेगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे:-

(क) जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई डिप्टी-कलेक्टर अध्यक्ष होगा।

(ख) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक।

(ग) जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी।

विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक हो, के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा उपरोक्त दल में सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम-निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारियों को सदस्य के रूप में रखा जायेगा। नामित किये जाने वाले ऐसे अधिकारियों पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न नहीं होंगे।

(2) मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन-पत्र में उपलब्ध करायी गयी सूचना से किया जायेगा।

(3) अभिलेखों के मिलान के दौरान बोर्ड, किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किये जाने पर अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाये जाने पर, अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकता है। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किये गये निर्देश अंतिम माने जायेंगे।

शारीरिक मानक परीक्षण

शारीरिक मानक परीक्षण कराये जाने हेतु उपरोक्त गठित दल किसी अन्य राजकीय अधिकारी/कर्मचारी की सहायता ले सकता है।

(1) पुरुष अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 168 सेन्टीमीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 160 सेन्टीमीटर है।

(ख) सीना:

सामान्य/अन्य पिछड़ी जातियों और अनुसूचित जातियों के सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिये न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के लिये 77 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और फुलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होगा।

नोट:-न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाव अनिवार्य है।

(2) महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है:-

(क) ऊँचाई :

(एक) सामान्य/अन्य पिछड़े तथा अनुसूचित जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 152 सेन्टी मीटर है।

(दो) अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 147 सेन्टीमीटर है।

(ख) वजन :

महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 40 किलोग्राम।

(3) प्रत्येक परीक्षण हेतु न्यूनतम शारीरिक मानक अर्हता को परीक्षा आयोजित होने के पूर्व परीक्षण स्थल के सूचना पट्ट पर अत्यन्त प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

(4) शारीरिक मानक परीक्षण की परीक्षा के लिए केवल भारतीय मानक संस्थान प्रमाणन वाले या निदेशक बॉट माप द्वारा सम्यक रूप से प्रमाणित मानकीकृत उपकरणों का ही प्रयोग किया जाय।

(5) कोई अभ्यर्थी जो अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षण के उपरान्त उसी दिन आपत्ति दाखिल कर सकता है। ऐसे समस्त प्रकरणों की आपत्ति के निस्तारण के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नामित किया जायेगा एवं ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण, दल द्वारा उपरोक्त अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी जो पुनः कराये गये शारीरिक मानक परीक्षण में असफल पाये जाते हैं, उन्हें अनुपयुक्त घोषित किया जायेगा एवं तदोपरान्त किसी प्रकार की अपील स्वीकार नहीं की जायेगी।

सामान्य अनुदेश

(1) अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे दिये गये दिनांक और समय पर उपस्थित हों। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण के परे हों और जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किये जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु परीक्षण के दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है।

(2) यदि कोई अभ्यर्थी नियत समय एवं दिनांक पर परीक्षा में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षा हेतु संबंधित जनपद में गठित समिति को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए, किसी अन्य दिनांक को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। समिति द्वारा उसके प्रत्यावेदन पर विचार कर उसे किसी अन्य दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु निर्णय लिया जा सकता है। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थी को केवल एक अतिरिक्त अवसर प्रदान किया जायेगा एवं अगर वह पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय पर परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहता है तो उसे परीक्षा में असफल माना जायेगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन, बोर्ड द्वारा इस परीक्षा हेतु पूर्व से निर्धारित की गयी अन्तिम तिथि तक देना होगा। अन्तिम तिथि के बाद दिया गया कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें समिति द्वारा परीक्षा का दिनांक एवं समय पुनर्निर्धारित किया जायेगा उसके सम्बन्ध में बोर्ड को सूचित किया जायेगा।

(3) परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण असफल हो जाने वाले अभ्यर्थी को दूसरा मौका नहीं दिया जायेगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो भी हो, पुनः परीक्षा के लिए अपील नहीं की जा सकेगी।

(4) अभिलेखों की संवीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण का परिणाम उसी दिन अभ्यर्थियों को अवगत कराया जायेगा।

परिशिष्ट-3

(नियम-15 छ देखें)

सीधी भर्ती के लिये चिकित्सीय परीक्षण

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी से चिकित्सा परीक्षण कराये जाने हेतु, चिकित्सा परिषद गठन किये जाने का अनुरोध किया जायेगा। चिकित्सा परिषद में तीन चिकित्सक रखे जायेंगे जो महानिदेशक चिकित्सा स्वास्थ्य के परामर्श से विभागाध्यक्ष द्वारा विहित और कोड किये गये "पुलिस भर्ती चिकित्सा परीक्षा प्रपत्र" के अनुसार अभ्यर्थियों का परीक्षण करेगा। यह प्रपत्र उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और चिकित्सा परीक्षा के स्थान पर भी प्रदर्शित किया जायेगा। चिकित्सा परिषद आवश्यकता अनुसार किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवाएं ले सकता है।

(1) चिकित्सकों द्वारा अभ्यर्थियों का परीक्षण चिकित्सा मैनुअल, यदि कोई हो, के अनुसार की जायेगी और चिकित्सा परीक्षण के दिन ही परिणाम घोषित कर दिया जायेगा।

(2) चिकित्सा परीक्षण का परिणाम परिसर के बाहर सूचना पट्ट पर दिन की समाप्ति पर प्रदर्शित कर दिया जायेगा।

(3) कोई अभ्यर्थी जो अपनी चिकित्सा परीक्षण से असंतुष्ट हो, ठीक परीक्षा के दिन ही अपील फाइल कर सकता है। चिकित्सा परीक्षण के सम्बन्ध में किसी अपील पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि अभ्यर्थी अपने चिकित्सा परीक्षण और उसके परिणाम की घोषणा के दिन अपील करने में विफल रहता है। अपील का निस्तारण

उक्त प्रयोजन के लिए गठित मण्डलीय चिकित्सा परिषद द्वारा अपील फाइल किये जाने के दो सप्ताह के भीतर किया जाना चाहिए। मण्डलीय चिकित्सा परिषद में संबन्धित दोष का विशेषज्ञ होना आवश्यक होगा।

(4) चिकित्सा परिषद के ऐसे सदस्य जो जानबूझकर गलत रिपोर्ट देते हुए पाये जायेंगे, दांडिक कार्यवाही के भागी होंगे।

(5) चिकित्सा परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होती है और योग्यता सूची पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

टिप्पणी :- चिकित्सा परिषद द्वारा अभ्यर्थियों तथा उनकी कमियों यथा—नाक—नी, बो—लेग्स, फ्लैट—फीट, वेरीकोज वेन्स, दूर तथा निकट दृष्टि, कलर ब्लाइंडनेस (पूर्ण एवं आंशिक), तथा रीनेज परीक्षण, वेब्सर्स परीक्षण को समाविष्ट करते हुए, श्रवण शक्ति परीक्षण की जाँच की जायेगी एवं अभ्यर्थियों का वर्टिगो, वाक दोष आदि का परीक्षण, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर अधिसूचित किया जाये, किया जायेगा। यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा परिषद विशेषज्ञों की राय प्राप्त करके अन्य परीक्षण करा सकता है।

आज्ञा से,
देबाशीष पण्डा,
प्रमुख सचिव, गृह।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1/15/2675 /6-PU.-1-15-54-2015, dated December 2, 2015:

No. 1/15/2675 /6-PU.-1-15-54-2015

Dated Lucknow, December 2, 2015

In exercise of the powers under clause (c) of sub-section (2) of section 46 read with sub-section (3) of the said section and section 2 of the Police Act, 1861 (Act no. 5 of 1861) and all other powers enabling him in this behalf and in supersession of all existing rules or orders issued in this behalf, the Governor is pleased to make the following rules with a view to regulating the selection, promotion, training, appointment, determination of seniority and confirmation etc. of Constables and Head Constables of the Police in Uttar Pradesh Police Force.

**THE UTTAR PRADESH POLICE CONSTABLE AND HEAD CONSTABLE
SERVICE RULES, 2015**

PART-I

General

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. (1) These rules shall be called the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Services Rules, 2015. | Short titles and commencement |
| (2) They shall come into force from the date of their publication in the Gazette. | |
| 2. The Uttar Pradesh Constable and Head Constable Service is a service comprising Group 'C' posts. | Status of the Service |
| 3. In these rules unless there is anything repugnant in the subject or context:— | Definitions |
| (a) 'Act' means the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994) as amended from time to time; | |
| (b) 'Appointing Authority' means the Superintendent of Police; | |
| (c) 'Board' means the Uttar Pradesh Police Service Recruitment and Promotion Board, established in accordance with Government orders issued from time to time in this regard; | |

- (d) 'Constitution' means the Constitution of India;
- (e) 'Citizen of India' means a person who is or is deemed to be a citizen of India under Part II of the Constitution;
- (f) 'Department' means the Department of Police Uttar Pradesh;
- (g) 'Government' means the State Government of Uttar Pradesh;
- (h) 'Governor' means the Governor of Uttar Pradesh;
- (i) 'Head of the Department' means the Director General of Police, Uttar Pradesh;
- (j) 'Service' means the Uttar Pradesh Police Constable and Head Constable Service;
- (k) 'Member of Services' means a person appointed under these rules or any previous rules before the Commencement of these rules and has been substantively appointed to a post in the service;
- (l) 'Other Backward Classes of Citizen' means the backward classes of citizens specified in Schedule I of the Act;
- (m) 'Police Headquarters' means the Headquarters of the Director General of Police, Uttar Pradesh at Lucknow or Uttar Pradesh Police Headquarters at Allahabad;
- (n) 'Selection Committee' means the Committee duly constituted by the Board to select candidates for appointment to the post in the Service;
- (o) 'Substantive Appointment' means an appointment, not being an ad-hoc appointment, on a post in the cadre of the service, made after selection in accordance with these rules and, if there were no rules, in accordance with the procedure prescribed for the time being by executive instructions issued by the Government;
- (p) 'Year of Recruitment' means a period of twelve months commencing on the first day of July of a calendar year.

PART-II

Cadre

Cadre of service

4. (1) The strength of the service and of each category of posts therein shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The strength of the service and of each category of posts therein shall, until orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as given below:—

	Name of post		Number of Posts
	Permanent	Temporary	Total
1. Constable	71,239	1,51,029	2,22,268
2. Head Constable	10,358	42,441	52,799

Provided that,—

(i) the Head of the Department may re-determine the number of posts of various units within the overall sanctioned allocation;

(ii) the appointing authority may leave unfilled or the Governor may hold in abeyance any vacant post, without any kind of claim to compensation; or

(iii) the Governor may create such additional permanent or temporary posts as he may consider proper.

PART-III
Recruitment

5- Recruitment to the various categories of posts in the service shall be made from the following sources:- Source of recruitment

(1) Police Constable-hundred percent posts of Police constables shall be filled by direct recruitment through the Board.

Note:—Dependants of personnel of police department deceased during service who apply for the post of Police Constable in the dependant of deceased category shall be recruited by the Board as per the policy decided by the Government.

(2) Head Constable-(a) hundred percent of the total number of sanctioned posts of Head Constable shall be filled by promotion by the Board on the basis of seniority subject to rejection of unfit, from amongst substantively appointed constables of police who have completed seven years of service as such on the first day of the year of recruitment, including the probation period.

(b) such Constables of Police promoted to ex-cadre posts of Head Constable Police shall also be eligible for promotion under sub-section (a) who fulfill the requirements.

6. Reservation for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories shall be in accordance with the provisions of the Act and the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Physically Handicapped, Dependents of Freedom Fighters and Ex-Servicemen) Act, 1993 as amended from time to time and the orders of the Government in force at the time of the recruitment. The reservation of the National/State level sportsmen shall be in accordance with the Government Orders in force at the time of recruitment provided that physically handicapped persons will not be eligible for police services. Reservation

PART-IV
Qualifications

7. A candidate for direct recruitment to a post in the service must be— Nationality

(a) a citizen of India; or

(b) a Tibetan Refugee who came over to India before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(c) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka or any of the East African Countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India:

Provided that a candidate belonging to category (b) or (c) above must be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the State Government:

Provided further that a candidate belonging to the category (b) will also be required to obtain a certificate of eligibility granted by the Deputy Inspector General of Police, Intelligence Branch, Uttar Pradesh:

Provided also that if a candidate belongs to category (c) above, no certificate of eligibility will be issued for a period of more than one year and the retention of such a candidate in service beyond the period of one year shall be subject to his acquiring Indian Citizenship.

Note:- A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary but the same has neither been issued nor refused, may be admitted to an examination or interview and he may also be provisionally appointed subject to the necessary certificate being obtained by him or issued in his favour.

Academic Qualification	8. A candidate for direct recruitment to the post of Police Constable must possess the qualification of 10 th and 12 th standard by a Board established by law in India or a qualification recognized by the Government as equivalent thereto.
Preferential Qualification	9. Other things being equal a candidate for direct recruitment shall be given preference who has:- (i) obtained "O" Level Certificate in Computer from DOEACC/NIELIT Society; (ii) Has served for minimum of two years in Territorial Army; or (iii) Has obtained a 'B' Level Certificate of National Cadet Corps. Note: Above noted preferential qualification shall carry no marks, but in the event of two or more candidates having equal marks, candidates with preferential qualifications shall be given preference in final selection list under rule 15(e).
Age	10. For direct recruitment to the post of constable it is necessary that male candidate must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 22 years and female candidate must have attained the age of 18 year and must not have attained the age of 25 years on the first day of July of the calendar year in which vacancies for direct recruitment are advertised: Provided that the upper age limit in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and such other categories may be greater by such number of years as may be specified in the Act and Government Orders applicable at the time of the notification of the vacancies by the Board.
Character	11. The character of a candidate for direct recruitment to a post in the service must be such as to render him suitable in all respect for employment in Government Service. The appointing authority shall satisfy itself on this point. Note :- Persons dismissed by the Union Government or any State Government or by a Local Authority or by a Corporation or Body owned or controlled by the Union Government or any State Government shall be ineligible for appointment to the service. Persons convicted of an offence involving moral turpitude shall also be ineligible.
Marital Status	12. A male candidate who has more than one wife living or a female candidate who has married a man already having a wife living shall not be eligible for appointment to a post in the service: Provided that the Government may, if satisfied that there exist special grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.
Physical fitness	13. No candidate shall be appointed to a post in the service unless he is in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of his duties. Before a candidate is finally approved for appointment, he shall be required to pass an examination by a Medical Board. Note:- The Medical Board shall examine the candidate for any physical standards prescribed for height, chest and weight measurement as the case may be and deficiencies such as Knock Knee, bow-legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness (total or partial), hearing test comprising of Rinne's Test, Webber's Test and tests for vertigo, speech defects etc., and such other deficiencies as may be notified by the State Government from time to time.

PART-V

Procedure for Recruitment

Determination of vacancies	14. The appointing authority shall determine and intimate to the Head of the Department the number of vacancies to be filled during the course of the year of recruitment as also the number of vacancies reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6. The Head of the Department shall intimate the number of vacancies for both male and female candidates separately, to the Board and also to the Government. Subsequently the Board shall notify the vacancies for both male and female candidates separately in the following manner:-
----------------------------	--

- (i) by issuing advertisement in daily Hindi and English newspapers having wide circulation;
- (ii) by pasting the notice on the notice board of the office or by advertising through Radio/Television and other Employment newspapers;
- (iii) by notifying vacancies to the Employment Exchange; and
- (iv) by other means of mass communication.

15- (a). Application Form:-

Procedure for
Direct
Recruitment to the
post of Constable

(i) A candidate shall fill only one application Form. The Board will accept only online applications. The application of candidates, who fill more than one Forms, may be rejected by the Board.

(ii) The details of the information regarding educational qualification, age, minimum qualifying standards for each category of examination, including physical, medical examination etc., other important guidelines as determined by the Board from time to time shall be made available by the Board on its own website and or by other means as it deems necessary.

(iii) The applications shall be invited by the Board giving the applicants adequate time for making application, the candidate shall be personally and solely responsible for its accuracy and completeness, if the Form of any candidate is found incomplete, wrong or having inaccurate information, it may be cancelled and the decision of the Board in this regard shall be final.

(iv) An applicant shall certify himself his certificates and documents and be responsible for their genuineness and correctness.

(v) In the Application Form the detail of the identity, specific identity card number, thumb and finger impression, photographs or bio-matrix details will be so included as determined by the Board from time to time.

(vi) The Head of the Department may fix an application fee for any recruitment in consultation with the Recruitment Board.

(vii) The Board shall have the right to summarily reject the candidature of an applicant for any incompleteness or inaccuracy or variation or conflict with any previous or subsequent information submitted by the candidate.

(viii) The Government may change the number of vacancies for any recruitment at any time before the first examination and may also cancel any recruitment at any time or stage of recruitment without assigning any reason thereof.

(b) Merit List on the basis of 10th and 12th examination results

All such candidates whose application forms are found correct, shall be awarded marks on the basis of their 10th and 12th standard Board examination results, or qualification equivalent thereto, as provided under clause (8) of these rules. For awarding these marks, maximum of 100 marks will be awarded on the basis of 10th standard Board examination and maximum of 200 marks will be awarded on the basis of 12th standard Board examination. The marks such awarded to them will be counted upto second digit after decimal point and will be awarded as per following procedure:-

(1) Marks awarded on the basis of 10th examination result = percentage of marks obtained by the candidate in 10th standard Board or examination equivalent thereto.

(2) Marks awarded on the basis of 12th examination result = 2 × Percentage of marks obtained by the candidate in 12th standard Board or examination equivalent thereto.

If any examination Board, awards grades in place of marks to the candidates, in above mentioned 10th and 12th examination, then Board shall proceed only after taking information from concerned examination Board, regarding marks to be awarded equivalent to corresponding grades. Candidates shall be awarded total marks on the basis of sum total of marks awarded to them on the basis of 10th class examination results and marks awarded to them on the basis of 12th class examination results, as above. All candidates will be awarded total marks as per sum total of marks awarded as above, out of a maximum of 300 marks and a list in the order of merit will be prepared on the basis of these total awarded marks. Out of the merit list such prepared, candidates equal to 15 times the number of total vacancies, on the basis of merit shall be called for Physical Efficiency Test. If more than one candidates are found on the marks obtained by the last candidate in the merit list then all such candidates shall be considered eligible for Physical Efficiency Test.

(c) Physical Efficiency Test-

All Candidates declared eligible in the merit list under clause (b) shall be required to participate in Physical Efficiency Test which shall be of 200 marks. The procedure for conducting the Physical Efficiency Test shall be as prescribed in Appendix-1.

(d) Scrutiny of Documents & Physical Standard Test

The scrutiny of documents & Physical Standard Test of candidates selected under clause (c) mentioned above shall be done according to Appendix-2. In case any document is found to be manipulated, inaccurate or forged during the scrutiny or at anytime after the scrutiny, the candidature of the applicant will be cancelled at the discretion of the Board or the Appointing authority as the case may be.

(e) Selection and Final Merit List:-

From amongst the candidates found successful after Physical Standards Test and scrutiny of documents under clause (d), the Board shall prepare, as per the vacancies, a select list of each category of candidates, on the basis of sum total of, marks awarded to each candidate on the basis of 10th and 12th examination results as per clause (b) and marks obtained by him in physical efficiency test as per clause (c), keeping in view the reservation policy and send it with recommendation to the head of the department subject to character verification, medical examination and 10th and 12th examination mark sheet verification. No waiting list shall be prepared by the Board. List of all candidates with marks obtained by each candidate shall be uploaded on its website by the Board. The Head of the Department shall after his approval forward the list sent by the Board to the concerned Authority for further action.

Note:- If two or more than two candidates obtain equal marks then the merit list shall be decided according to the following procedure:-

(1) If marks of two or more candidates are equal then candidate obtaining higher marks, as per total marks awarded in clause (b), will be given preference.

(2) If two or more candidates are equal even after this the candidates who have the preferential qualification (in the same order as stated in rule 9) will be given preference. Candidate having more than one preferential qualification shall get the benefit of only one preferential qualification.

(3) Even then if two or more candidates have equal marks then candidate older in age shall be given preference.

(4) If despite the aforementioned more than one candidates are equal, then preference to such candidate shall be determined according to the order in English Alphabets of their names mentioned in High School Certificate.

(f) Verification of 10th and 12th examination marks sheets

While preparing the final select list, the Board will send for verifications to the concerned Education Board, the 10th and 12th class mark sheets of all candidates, included in the select list. As and when their verification reports from concerned Education Boards are received, the Board will send them separately to Police Headquarter later on, who will subsequently send it to the Appointing Authority for necessary action. If as per report sent by concerned Education Board, the 10th or 12th examination marks sheets of any candidate, is not verified, then such candidate shall be declared unfit by the Appointing Authority and such vacancies shall be carried forward for new selection.

(g) Medical Examination

The candidates whose name are in the select list sent as per clause (e), will be required to appear for Medical Examination by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted in the Police Line of the concerned District or at the place mentioned by the Appointing authority. Medical Examination will be conducted as per Appendix-3. The candidates found unsuccessful in Medical Examination shall be declared unfit by the Appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

16. Character Verification shall be completed under the supervision of appointing authority before issuing of appointment letter and before sending the candidates for training. Ordinarily character verification shall be completed within a month. On adverse fact coming to light during character verification of any candidate, he shall be declared unfit by the appointing authority and such vacancies shall be carried forward for next selection.

Character
Certificate
Verification

17. The appointment to the post of the Head Constable shall be made from amongst the eligible personnel substantively appointed as constable Police according to the following policy:-

Procedure for
promotion to the
post of Head
Constable

(a) 100 percent of the total sanctioned posts of the Head Constable shall be filled by recruitment through promotion on the basis of seniority subject to rejection of unfit from amongst such substantively appointed constables police who have completed seven years of service including probation period on the first day of the year of recruitment.

(b) Such constables Police promoted to ex-cadre post of Head Constable Police shall also be eligible for promotion to the posts of Head Constable Police under clause (a) who fulfill the qualifications.

(2) Selection Committee for Promotion :-

(a) The selection committee for promotion shall be constituted by the Board.

(b) The Chairman of the committee will be nominated by the Board and shall not be junior in rank than the Appointing Authority for the promotional post for which the selection committee is constituted. One member of appropriate rank shall be nominated by the Head of the Department in the committee and remaining members of the committee shall be nominated by the Board according to prevalent Government Orders.

(c) Undisputed seniority list for promotion shall be made available by the Police Head Quarters to the Board.

(d) The Selection Committee shall submit the result of successful candidates along with its recommendation to the Board. The Board shall submit the list of selected candidates along with its recommendation to Head of the Department. The list shall not be more than the notified vacancies.

(e) The Head of the Department shall after his approval send the List to Appointing Authority who will issue final orders for promotion.

(f) After approval by the Head of Department, Final list of candidates selected for promotion shall be displayed by the Board on its website and U.P. Police website.

PART-VI

Training, Appointment, Probation, Confirmation and Seniority

Appointment

18. (1) Subject to the provisions of rules 15 and 16 the appointing authority shall make appointment by taking the names of candidates in the same order in which they stand in the list prepared under clause (g) of rule 15. The appointing authority shall issue the appointment letter to the candidates with the direction that they should report for service/training within one month of the date of issue of the letter or any date specified for this purpose in the appointment letter. If he does not do so his selection/ appointment shall be cancelled:

Provided that any person appointed to a post in the service prior to the commencement of these rules and is working on the post, shall be deemed to have been substantively appointed under these rules.

(2) If more than one order of appointments are issued in respect of any one selection under rule 17, then a combined order shall also be issued, mentioning the names of the persons in order of seniority as determined in the selection or, as the case may be, as it stood in the cadre from which they are promoted:

Provided that any person appointed before the commencement of these rules to a post in the service and working on that post shall be deemed to have been substantively appointed under these rules and such substantive appointment shall be deemed to have been made under these rules.

Training

19. (1) (a) The candidates finally selected to the posts of constable under rules 15 and 16 shall be required to pass the training prescribed by the Head of the Department. Provisions of Police Training College Manual shall be effective on the cadets during the basic training. If the candidate finally selected for basic training does not report for training within the prescribed time limit then his selection/candidature shall be cancelled.

(b) Re-examination of the cadets failing in basic training shall be organized by the Head of the Department after doing supplementary training. The proceeding for termination of service of candidates failing in examination of training after supplementary training shall be done by the Appointing Authority.

(2) The candidates appointed by promotion under rule 17 shall be required to complete the training prescribed by the Head of the Department.

Probation

20. (1) A person on substantive appointment to a post in the service shall be placed on probation for a period of two years.

(2) During the probation period a probationer shall be required to undergo such training as may be determined by the Head of Department.

(3) The appointing authority may, for reasons to be recorded, extend the period of probation in individual cases specifying the date up to which extension is granted:

Provided that, except in exceptional circumstances, the period of probation shall not be extended beyond one year and in no circumstances, beyond two years.

(4) If it appears to appointing authority at any time during or at the end of the period of probation or extended period of probation that a probationer has not made sufficient use of his opportunities or has otherwise failed to give satisfaction, he may be reverted to his substantive post, if any, and if he does not hold a lien on any post, his services may be dispensed with.

(5) A probationer who is reverted or whose services are dispensed with under sub-rule (4) shall not be entitled to any compensation.

(6) The appointing authority may allow continuous service, rendered in officiating or temporary capacity in a post included in the cadre or any other equivalent or higher post to be taken into account for the purpose of computing the period of probation.

21. (1) Subject to the provisions of rule 20 a probationer shall be confirmed in his appointment at the end of the period of probation or the extended period of probation if,— Confirmation

- (a) he has successfully undergone the prescribed training; and
- (b) his work and conduct is reported to be satisfactory; and
- (c) his integrity is certified.

(2) Where in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh State Government Servants Confirmation Rules, 1991, confirmation is not necessary, the order under sub-rule (3) of rule 5 of the said rules declaring that the person concerned has successfully completed the probation shall be deemed to be the order of confirmation.

22. Seniority of persons substantively appointed to any posts of service shall be determined as follows :- Seniority

1- Determination of seniority of constables recruited before December 02, 2008

(a) Seniority of all constables appointed by means of a single selection shall be determined on the basis of the marks obtained by them in training after selection in training institutions;

(b) Constables- appointed by previous selection shall be senior to constables appointed by subsequent selection.

Note- If marks obtained in training are not available for all the constables coming within the purview of promotion then promotion shall be done batch wise according to the following policy :-

- (1) Year of the date of recruitment shall be considered as "Year (Batch)".
- (2) Constables appointed in previous "Year (Batch)" shall be senior to constables appointed in subsequent "Year (Batch)".
- (3) No seniority shall be determined from the order in which the names of constables appear in the list prepared year wise (batch wise)

2- Determination of seniority of constables recruited after December 02, 2008

(1) Seniority of Constable appointed by any type of selection shall be determined from their date of selection. Here date of selection means the date on which the head of department approves the select list sent by the Board after the completion of recruitment process.

(2) Selection of constables by the Board by means of direct recruitment shall be considered a separate selection. Inter-se seniority of constables recruited in a single selection under direct recruitment shall be according to the order of the final select list issued by the Board.

(3) Constables recruited under the dependents of deceased category and constables recruited under the Skilled Sportsmen Rules-2011 shall be considered a separate selection of direct recruitment. The inter-se seniority of constables so recruited shall be determined according to the percentage of marks obtained by them in training after selection in training institutions. In one training session if percentage of marks obtained in training institutions are same for more than one candidate then senior in age according to date of birth shall be senior in determination of inter-se seniority. In case of percentage of marks and date of birth being same the seniority shall be determined according to the alphabetical order of the names in High School Certificates in English.

(4) Constables appointed by previous selection shall be senior to constables appointed by subsequent selection.

3- Determination of seniority of head constables promoted before December 02, 2008

(1) Seniority of Head Constable Police shall be determined from the date of joining as Head Constable of Police

(2) If date of joining as Head Constable is same for more than one Head Constables then seniority shall be determined according to the date of joining as Constable.

(3) If date of joining as Head Constable and date of joining as Constable is same for more than one Head Constables then seniority shall be determined according to the date of birth the Head Constable senior in age shall be senior.

(4) If date of joining as Head Constable, date of joining as Constable and date of birth is same for more than one Head Constables then seniority shall be determined according to the alphabetical order of the names in High School Certificates in English.

4- Determination of seniority of head constables promoted after December 02, 2008

Seniority of Head Constables appointed on the basis of promotion shall be determined from their date of selection. Inter-se seniority of Head Constables appointed on same date of selection shall be according to their seniority in their feeder cadre and head constables selected in previous year shall be senior to head constables selected in subsequent year. Here date of selection means the date on which the head of department approves the select list sent by the Board after the completion of recruitment process.

But in case of batch wise promotion from the post of constable to head constables the seniority on the post of head constable shall be determined as per the following policy :-

(1) Head constables substantially appointed before December 02, 2008 shall be senior to those head constables promoted subsequently.

(2) Constables appointed in previous "Year (Batch)" who are found suitable for promotion shall be senior to constables appointed in subsequent "Year (Batch)".

(3) Amongst promoted constables having same "Year (Batch)", the constable whose date of appointment to the post of constable is previous shall be senior as head constable to the constable whose date of appointment to the post of constable is subsequent.

(4) Amongst promoted constables having same "Year (Batch)" and whose date of appointment to the post of constable is also same, their inter-se seniority on the post of head constable shall be determined according to the percentage of total marks obtained in training as Head constable.

(5) Amongst promoted constables having same "Year (Batch)", same date of appointment to the post of constable and same percentage of total marks obtained in training as Head constable, their inter-se seniority on the post of head constable shall be determined according to the percentage of marks obtained in outdoor training as Head constable and in case of that being equal it shall be determined according to the date of birth the Head Constable senior in age shall be senior.

5. The seniority in some special case determined according to a previously determined policy shall remain the same.

6. Despite the aforesaid if new facts come to light about seniority determination or in case some dispute arises then it shall be resolved by the head of department.

PART-VII**Pay Etc.**

Scales of Pay

23. (1) The scales of pay admissible to persons appointed to the various

categories of posts in the Service shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(2) The scales to pay at the time of the commencement of these rules are given as follows:

Name of post	Scales of pay
Constable	Rs. 5200-20200 Grade Pay - 2000
Head Constable	Rs. 5200-20200 Grade Pay - 2400

24. (1) Notwithstanding any provision in the Fundamental Rules to the contrary, a person on probation, if he is not already in permanent Government Service shall be allowed his first increment in the time scale when he has passed departmental examination and undergone training where prescribed and second increment when he has completed the probationary period and is also confirmed:

Pay during Probation

Provided that if the period of probation is extended on account of failure to give satisfaction, such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(2) The pay during probation of a person who was already holding a post under the Government shall be regulated by the relevant fundamental rules:

Provided that if period of probation is extended on account of failure to give satisfaction such extension shall not count for increment unless the appointing authority directs otherwise.

(3) The pay during probation of a person who was already in permanent Government Service shall be regulated by the relevant rules, applicable generally to Government Servants serving in connection with the affairs of the State.

PART-VIII

Other Provisions

25. No recommendations, either written or oral, other than those required under the rules applicable to the post in the service will be taken into consideration. Any attempt on the part of a candidate to enlist support directly or indirectly for his candidature will disqualify him for appointment.

Canvassing

26. In regard to the matters not specifically covered by these rules or special orders persons appointed to the post in the service shall be governed by the rules, regulations and orders made under the Police Act.

Regulation of other matters

27. Where the State Government is satisfied that the operation of any rule, regulating the conditions of service of persons appointed to the post in the service causes undue hardship in any particular case, it may, notwithstanding anything contained in the rules applicable to the case, by order, dispense with or relax the requirements of that rule to such extent and subject to such conditions as it may consider necessary for dealing with the cases in just and equitable manner.

Relaxation from the conditions of service

28. Nothing in these rules shall affect reservations and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders of the Government issued from time to time in this regard.

Savings

APPENDIX-1

[See rule 15(c)]

Physical Efficiency Test for direct recruitment

1. The Physical Efficiency Test will be conducted by a team formed by the Board which shall have the following members -

- (i) Sub Divisional Magistrate nominated by the District Magistrate of the District concerned;
- (ii) Medical Officer nominated by the Chief Medical Officer of the District concerned;
- (iii) Deputy Superintendent of Police nominated by Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police.

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward classes, Minority or any other category whose representation is necessary in the above team, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of Inspector in police department.

The said team may take the help of any other expert for conducting the examination.

1. In the physical efficiency test for direct recruitment of constables, the male candidates will have to complete 4.8 Km. (Kilometre) run in 27 minutes and female candidates will have to complete 2.4 Km. (Kilometre) run in 16 minutes. Those candidates who fail to complete the run in stipulated time will not be eligible for next stage.

The allotment of the marks will be according to time taken by the candidates within the above stipulated time, for which there shall be a maximum of 200 marks and minimum of 120 marks.

2. For male candidates maximum of 200 marks will be awarded to those, who complete the 4.8 Km. run in 17 minutes or time less than that. After that male candidates completing the run in more than 17 minutes and upto 17 minutes 15 seconds, will be awarded 198 marks, male candidates completing the run in more than 17 minutes 15 seconds and upto 17 minutes 30 seconds will be awarded 196 marks. Likewise in the increasing order of time as above, 2 marks shall be deducted every time from the marks to be awarded to male candidates for every 15 seconds increase in time interval. Likewise, serially as per above prescribed norms, all male candidates completing the run in more than 26 minutes 30 seconds and upto 26 minutes 45 second shall be awarded 122 marks and all male candidates completing the run in more than 26 minutes 45 seconds and upto 27 minutes will be awarded 120 marks, minimum prescribed for this run, and all those male candidates who complete the 4.8 Km. run in more than 27 minutes shall be declared unfit for selection.

For female candidates maximum of 200 marks will be awarded to those, who complete the 2.4 Km. run in 11 minutes or time less than that. After that female candidates completing the run in more than 11 minutes and upto 11 minutes 15 seconds, will be awarded 196 marks, female candidates completing the run in more than 11 minutes 15 seconds and upto 11 minutes 30 seconds will be awarded 192 marks. Likewise in the increasing order of time as above, 4 marks shall be deducted every time from the marks to be awarded to female candidates for every 15 seconds increase in time interval. Likewise, serially as per above prescribed norms, all female candidates completing the run in more than 15 minutes 30 second and upto 15 minutes 45 seconds shall be awarded 124 marks and all female candidates completing the run in more than 15 minutes 45 seconds and upto 16 minutes will be awarded 120 marks, minimum prescribed for this run, and all those male candidates who complete the 2.4 Km. run in more than 16 minutes shall be declared unfit for selection.

The detailed table for Physical Efficiency Test, indicating marks to be awarded for different timings as above, separately for male and female candidates, shall be displayed by Board on its website.

3. Manual timing shall not be permitted to be used by the team. Standardised Electronic Timing Equipment alongwith CCTV coverage and biometrics with adequate backup will be used to ensure accuracy, transparency and avoid impersonation.

4. The team shall follow the process laid down as under:-

- (a) the number of candidates to be tested per day shall be determined by the Board and decided depending on the total numbers to be tested and prevailing conditions.

(b) The information regarding minimum standards of physical efficiency for qualification and table indicating marks for different timing for physical efficiency test as given in para 2 of this appendix, shall be displayed on the notice board at the venue of the test.

(c) The result of this test will be displayed on the notice board at the end of the day, at the venue of the Test and if possible, will be uploaded on the Board's website as soon as possible.

(d) The members of the organizational team including testing agency if any who willfully commit an act which is wrong or omit to perform an act and which causes an unfair advantage or disadvantage to any candidate may be liable to Criminal proceedings or Departmental proceedings.

(e) The result of the Physical Efficiency Test will be made available to the candidates on the same day. The list of the successful candidates will be declared under the joint signatures of the members of the team.

(f) The outdoor test shall be such that the results are capable of being measured and recorded mechanically without manual intervention. Only standardized equipments preferably having Bureau of Indian Standards certificate shall be used for Physical Efficiency Test.

(g) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the board for a group of candidates to be tested at a particular time.

(h) The list of successful and unsuccessful candidates shall be declared by the collective signatures of members of the team.

(i) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the examination on some other date. The committee, after considering his application, may decide and allow him to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he shall be considered unsuccessful. The candidates may give this application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.

(j) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination, shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever.

Note:- Individual privacy will be respected in all video records and the record will be kept in safe custody and will be made available to a court of law when summoned by it, or to an enquiry officer with the permission of the Board.

APPENDIX-2

[See rule 15(d)]

Scrutiny of Documents & Physical Standard Test

Scrutiny of the Documents.

1. Candidates will be summoned with relevant documents with regard to eligibility, relaxation, preferential qualifications, etc., for scrutiny thereof to be carried out by a committee which will consist of following members :-

(a) a Deputy Collector nominated by the District Magistrate of the District will be the Chairman;

(b) a Deputy Superintendent of Police nominated by the Senior Superintendent of Police/ Superintendent of Police of the district;

(c) District Inspector of Schools (D.I.O.S) or Basic Siksha Adhikari (B.S.A.) or any other gazetted officer of the education department nominated by the District Magistrate.

Where according to the prevalent Government Orders representation of Scheduled Castes/Scheduled Tribes, Other Backward classes, Minority or any other category whose representation is

necessary in the said committee, the Board shall keep additional officers nominated by the District Superintendent of Police to ensure their representation. Such nominated officers shall not be below the ranks of Inspector in police department.

2. Original documents shall be checked as per the information provided in the application form.

3. During scrutiny of documents on being referred by any committee because of any doubt or on being brought directly in its notice, the Board can issue directions in this regard. The directions issued by the Board, shall be final.

Physical Standard Test

The above mentioned committee can take help of any Government employee for conducting Physical Standard Test.

1. Minimum Physical Standards for male candidates are as follows:-

(a) Height:-

(one) for General/ Other Backward classes and Scheduled Castes male candidates minimum height should be 168 centimetre.

(two) for Scheduled Tribe male candidates minimum height should be 160 centimetre.

(b) Chest:-

For the candidates belonging to General/ Other Backward classes and Scheduled Castes minimum chest measurement should be 79 centimetres without expansion and at least 84 centimetres with expansion and for the Scheduled Tribes 77 centimetres without expansion and not less than 82 centimetres on expansion.

Note:- Minimum 5 centimetre chest expansion is essential.

2. Minimum Physical Standards for female candidates are as follows:-

(a) Height:-

(one) for General/ Other Backward classes and Scheduled Castes female candidates minimum height should be 152 centimetre.

(two) for Scheduled Tribes female candidates minimum height should be 147 centimetre.

(b) Weight:-

Minimum 40 Kg. for female candidates .

3. The minimum physical standards for qualifying for each test shall be displayed very prominently on Notice Boards in the venue of examination before conducting the examination.

4. Only standardized equipments having Bureau of Indian Standards certification or duly certified by the Director of Weights and Measures are to be used for physical standards test examination.

5. If any candidate is not satisfied with his Physical Standard Test, he/she may file an objection on the same day after the test. For clearing all such objection; the Board shall nominate one Additional Superintendent of Police at every place and Physical Standard Test of all such candidates will be conducted again by the committee in the presence of above nominated Additional Superintendent of Police. All those candidates who are again found unsuccessful in the Physical Standard Test, will be declared unfit and no further appeal will be entertained in this regard.

General Instructions

(1) Candidates will be expected to appear on the date and time assigned to them. For reasons beyond their control and to be recorded in writing, the date and time of the test may be changed by the Board for a group of candidates to be tested at a particular time.

(2) If a candidate fails to appear in the examination on the scheduled date and time, then he/she can give application to the committee formed for conducting the test in concerned district, giving reasons in detail for absence and requesting to appear in the examination on some other date. The committee, after considering his/her application, can decide and may allow him/her to appear for test on some other date. The candidate will be given only one chance in this regard and if he/she fails to appear in the examination on rescheduled date and time, he/she shall be considered unsuccessful. The candidates may give application, before the last date fixed for this test, by the Board. No application will be accepted after the

last day. The committee shall inform the Board about all such cases where the date and time of the test has been rescheduled.

(3) A candidate who fails for not achieving the prescribed standards in the examination, shall not be given another chance and no appeal shall lie for a retest for reasons of health and any other ground whatsoever.

(4) The candidates will be informed about result of Scrutiny of Documents and Physical Standard Test on the same day.

APPENDIX-3

[See rule 15(g)]

Medical Examination for direct recruitment

The Appointing authority will request the Chief Medical Officer of the concerned District to constitute medical Board for conducting Medical Examination. The Medical Board will consist of three Doctors, who will conduct Medical Examination as per "Police Recruitment Medical Examination Forms" as prescribed and codified by Head of Department in consultation with Director General of Medical Health. This form will be available on U.P. Police website and also displayed at the place of Medical Examination. Medical Board may take services of any expert as per requirements.

(1) The doctors will examine the candidates in accordance with the Medical Manual, if any, and announce the result on the day of the Medical Examination.

(2) The result of the Medical Examination will be displayed on the notice board outside the premises at the end of the day.

(3) Any candidate not satisfied by his Medical Examination, may file an appeal on the day of examination itself. Any appeal in regard to Medical Examination will not be considered if the candidate fails to file appeal on the date of Medical Examination and declaration of its result itself. The appeal should be disposed of by the Medical Board, constituted for the same purpose within two weeks of the appeal being filed. The Medical Board constituted for appeal shall have expert regarding Medical deficiency of the applicant.

(4) The members of the Medical Board who are found to give wrong report willfully will be liable for criminal proceedings.

(5) The Medical Examination is only qualifying in nature and it has no effect on the merit list.

Note :- The Medical Board will examine the candidates and their deficiencies such as knock knee, bow legs, flat feet, varicose veins, distant and near vision, colour blindness, hearing test comprising of Rinne's Test, Webber's Test and tests for vertigo etc. as notified by the government from time to time. The Medical Board may get conducted other examinations after obtaining opinion of experts.

By order,
DEBASISH PANDA,
Pramukh Sachiv, Grih.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 665 राजपत्र-(हिन्दी)-2015-(1551)-599 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 10 सा० गृह-2015-(1552)-3000 प्रतियां-(कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।